बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना–15, दिनांक– ..../2021

संख्या– 1/स्था0 (1) 1001/2015–..1964........./ भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा"** (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **<u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ</u> ।–**

(i) यह नियमावली **"बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2021"** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **<u>बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014 के नियम–3 के उप नियम (5) का प्रतिस्थापन</u> ।–** उक्त नियमावली के नियम–3 के उप नियम (5) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"3 (5) **सामान्य संवर्ग में निम्नलिखित पदसोपान होंगे :–**

(i) भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष (मूल कोटि)।

(ii) अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष (प्रथम प्रोन्नति स्तर)।

(iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)।

(iv) अपर निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक एवं समकक्ष (तृतीय प्रोन्नति स्तर)।

<u>नोट</u> :– (i) उपर्युक्त क्रमांक– (i) से (iv) में उल्लिखित पदों का कुल पदबल समय–समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(ii) उक्त सभी पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा जैसा समय–समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय"।

3. **<u>बिहार पशु चिकित्सा सेवा" (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014 के अध्याय–4, नियम–10 का प्रतिस्थापन</u> ।–** उक्त नियमावली के नियम–10 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"10 (1) दो वर्षो की संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि के उपरांत, पशु चिकित्सकों की सेवा अध्याय–3 के नियम–9 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये सम्पुष्ट की जायेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचार कर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा करेगी :–

(क) चारित्रिक अभ्युक्तियाँ।

(ख) स्वच्छता प्रतिवेदन।

(3) प्रोन्नति के लिए कालावधि एवं अन्य शर्त्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में विनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा"।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (1) 1001/2015–................................../ पटना–15, दिनांक–...................../2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपां की जाय।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (1) 1001/2015–................................../ पटना–15, दिनांक–...................../2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (1) 1001/2015–................................../ पटना–15, दिनांक–...................../2021

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (1) 1001/2015–................................../ पटना–15, दिनांक–...................../2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी विशेष उप निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (1) 1001/2015–1965................................../ पटना–15, दिनांक–30/7/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2021

सरकार के विशेष सचिव।